

an>

Title: Introduction of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2016 (*Amendment of sections 4 and 6*).

ॐ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रसार और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 संरक्षण अधिनियम, का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003."

*The motion was adopted.*

ॐ. संजय जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-